कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
N.I.T.

कार्य का नाम :– वाहन क्रमांक CG07/C/7518 (डम्पर प्लेसर) को रुपांतरित कर शववाहन बनाने के संबंध में।

क्रं.	टायर एवं ट्यूब का साइज	मात्रा	दर
1	CG07/C/7518 (Dumper Placer) Making of Muktanjali Vehicle (Shav Vahan) Removing of old body from chassis by gas cuttingg, grinding & finishing to chassis & their after those making by cheque plate 5 mm thickness size 10'X2'X8" & top floor & body making standard size by 3.15 mm thickness cheque plate, Channel using for structure of body making & window & glass fitting in window. Door making in back side for up and down from vehicle. Painting work in side & out side of vehicle & writing work also & necessary welding & gas welding work & vehicle all servicing with materials.	1Job	

नियम शर्त :–

1 सामग्री की दर समस्त करो एवं शुल्क सहित देना होगा, पृथक से किसी भी प्रकार का शुल्क एवं कर देय नही होगा।

2 वाहन से निकाले गये पुराने सामग्रियों को वाहन शाखा में जमा करना होगा।

5 आवेदन पत्र के साथ वाणिज्य कर कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र (जी.एस.टी.), पेन कार्ड एवं आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई

उप अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्य का नाम :– वाहन क्रमांक CG07/C/7518 (डम्पर प्लेसर) को रुपांतरित कर शववाहन बनाने के संबंध में।

नियम एवं शर्तें :–

1. सशर्त निविदा मान्य नहीं किया जावेगा।
2. वाहन के रुपांतरण हेतु वाहन चलित अवस्था में निगम द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
3. वाहन से निकाली गयी अनुपयोगी सामग्री का परीक्षण कराकर सूचीबद्ध कर निगम के वाहन शाखा में एजेंसी द्वारा जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. निविदाकार का स्वयं का वर्कशाप होना अनिवार्य है, जिसके संबंध में दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। किसी अन्य के वर्कशाप के दस्तावेज मान्य नहीं किये जायेंगे।
5. कार्य पूर्व एवं अनुपयोगी सामग्री निकालने के पश्चात् वाहन एवं सामग्री का एवं कार्य के दौरान विभिन्न चरणों में निर्देशानुसार फोटोग्राफस उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
6. कार्य के दौरान कार्य शैली एवं उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का परीक्षण उप अभियंता से कराया जाना आवश्यक होगा।
7. रुपांतरित किये गये असेट का एक वर्ष तक निःशुल्क मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निर्माणकर्ता एजेंसी की होगी। जिसकी काटी गयी सुरक्षित राशी एक वर्ष उपरांत ही वापस की जावेगी।
8. कार्य पूर्णता पश्चात् अनुबंधित एजेंसी को रुपांतरित वाहन को RTO में पंजीकृत करने हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।
9. किसी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने संबंधी शपथ पत्र 100.00 रुपये के स्टाम्प पर जमा करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से वाहन शाखा, भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास, कोसा नगर, भिलाई, दुर्ग (छ.ग.) 490020 में स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि को 5.00 बजे के उपरान्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।
11. आवेदन पत्र के साथ संबंधित फर्म का GST पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
12. सामग्री की दरें समस्त कर सहित प्रस्तुत करना होगा उसके लिए पृथक से कोई भुगतान देय नही होगा।
13. किसी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. यदि निर्माता कंपनी स्वयं निविदा में भाग लेती है, तो उनको अमानत राशि में किसी भी छूट की पात्रता होने से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज निविदा फार्म की राशि वाले लिफाफे में सतन्श कर प्रस्तुत करना होगा।

15. वाहन को निगम की कर्मशाला में पहुँचाकर देना होगा। सभी आवश्यक टेस्टींग एवं नाप का परीक्षण कर्मशाला में किया जाएगा।
16. संपूर्ण निविदा/निविदा के कुछ अंश को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा।
17. संबंधित शर्तों के अलावा यदि निविदा से संबंधित कोई ऐसा तथ्य उत्पन्न होता है, जिसका उल्लेख नियम एवं शर्त में नहीं है तो इसका निराकरण का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई के पास सुरक्षित होगा। जिसे मानना संबंधित निविदाकार के लिये बंधनकारी होगा।
18. निविदा से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्त वाहन शाखा मुख्य कार्यालय से एवं नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाइड www.bhilainagarnigam.com व संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई